न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/2650

दिनांक 13/12/2022

प्रार्थीगण :-

1.जगदीशदान 2.प्रकाशदान 3.बाबूदान 4.मगदान 5.राजूदान पि. वेणीदान, जातियान चारण, निवासी टांका स्टेशन(आलमसर), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. कमाल 2.खानू 3.गुलू 4.जानू 5.जिमाल 6.ताहर 7.रसीद 8.विलाल 9.हामीद 10.अमन पि.सफी, जाति सिंधी मुसलमान, निवासी टांका स्टेशन (आलमसर), 11.टीकमाराम पुत्र हिमथाराम, जाति जाट, निवासी गांधी नगर (आलमसर) 12.समदकंवर पत्नि वेणीदान, जाति चारण, निवासी टांका स्टेशन (आलमसर), तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 51/2022

दिनांक : **13.12.2022**

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा टांका स्टेशन के खेत खसरा सं. 857/467 रकबा 04.2897 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

(SDO) उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/2651 to 54

दिनांक 13/12/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण जगदीशदान वगैरा
3. विप्रार्थीगण पारूराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना/...

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:29:14 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी